उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या-616 /एक-14-2020
लखनऊः दिनाँक 11 सितम्बर, 2020

अधिसूचना (संशोधन)

राजस्व अनुभाग-14 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-517/एक-14-2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के 'स्वामित्व योजना' के अधीन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-44 के अन्तर्गत प्रत्येक जिला का जिला मजिस्ट्रेट को पदेन अभिलेख अधिकारी एवं प्रत्येक तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट को पदेन सहायक अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2- राजस्व अनुभाग-14 की उक्त अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 2020 में अंकित प्रत्येक जिला का जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर प्रत्येक जिला का जिला कलेक्टर एवं प्रत्येक तहसील का उप जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर प्रत्येक तहसील का उप जिलाधिकारी पढ़ा जाए।

तद्नुसार पूर्व में निर्गत एतद् विषयक राजस्व अनुभाग-14 की अधिसूचना संख्या-517/एक-14-2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अधिसूचना के अन्य शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-317/9-36(2)/2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कलेक्टर/अभिलेख अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिला कलेक्टर)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in